

अंजली महिला एवं बाल उत्थान संगठन (ट्रस्ट)

भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संगठन

पंजीकृत कार्यालय : बूरारी, दिल्ली-75

जयपुर ग्रामीण कार्यालय: झरना बस स्टैण्ड, ग्राम झरना, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर (राज.)

पंजीकृत क्रमांक.


आवेदन-पत्र

दिनांक

पंजीकरण शुल्क 1100/- रूपये नकद/चैक/ऑनलाईन/अन्य
भगुतान किये गये तरीके पर सही का चिन्ह लगावें।

श्रीमान् राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय

मेरा विवरण निम्न प्रकार है.



नाम.

पिता का नाम.माता का नाम.....

जन्म दिनांक

पिता/संरक्षक का व्यवसाय.

पत्र व्यवहार का पता.

स्थायी पता.

पोस्ट.जिला.....

राज्य.पिन कोड.....

मो.व्हाट्सप नं.

ईमेल.

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक, पिता/संरक्षक एवं माता के आधार कार्ड की छायांप्रति आवेदन-पत्र के साथ जमा करवाना अनिवार्य है।

अंजली बालिका कन्यादान योजना

योजना में सदस्यता लेने हेतु नियम एवं शर्तें

1. इस योजना से जुड़ने के लिये आपको 1100/- रुपये सदस्यता शुल्क प्रति बालिका जमा करवाने होंगे।
 2. इस योजना में जन्म से लेकर अविवाहित तक की बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।
 3. योजना में रजिस्ट्रेशन के समय जिन बालिकाओं की उम्र जन्म से 5 वर्ष की होगी उन बालिकाओं के विवाह के समय 51000 रुपये की आर्थिक सहायता।
6 से 11 वर्ष की होगी उन बालिकाओं के विवाह के समय 31000 रुपये की आर्थिक सहायता।
12 से 16 वर्ष की होगी उन बालिकाओं के विवाह के समय 21000 रुपये आर्थिक सहायता।
16 वर्ष से अधिक की बालिकाओं के विवाह के समय संगठन के द्वारा उचित निर्णय की गई आर्थिक सहायता दी जायेगी। जो कम से कम 3100 रुपये होगी।
 4. आवेदनकर्ता की असामयिक मृत्यु हो जाने पर संगठन के द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी। जिसका भुगतान उनके संरक्षक/माता-पिता को किया जायेगा (जिसका आधार कार्ड आवेदन के वक्त जमा करवाया गया है)
 5. कन्यादान हेतु आवेदन करने पर आवेदन के तीन दिन के भीतर भुगतान किया जायेगा।
 6. आवेदन हेतु आवेदन फार्म (जो आप हमारे संस्था से जुड़े सदस्य या पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं) के साथ बेट्टी व संरक्षक का आधार कार्ड, व फोटो जमा करवाने होंगे।
 7. सदस्यता शुल्क जमा करवाने पर आपको भुगतान की रशीद एवं बॉण्ड व आर्थिक योगदान हेतु आवेदन का फार्म दिया जायेगा ये सभी दस्तावेज कन्या विवाह पर आवेदन के समय अनिवार्य होंगे।
 8. सदस्यता ग्रहण करने के बाद सदस्यता शुल्क अप्रत्यार्पणीय होगा।
 9. सदस्यता ग्रहण करने के तीन माह पश्चात ही आर्थिक योगदान के हकदार रहेंगे।
 10. नाबालिक बालिकाओं के विवाह पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
- अपनी बेटियों के भविष्य का संवारे योजना से जुड़ें और विवाह पर लाभ लें

अनाथ बालिकाओं के आवेदन निःशुल्क लिये जायेंगे



अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें: 9413856894
9929325381



ACCEPTED HERE

Scan & Pay Using PhonePe App



Ramji lal sharma